UPJB010035322026

# न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03, जिला अमरोहा

**प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 920/2026**

**तौकीर अहमद** पुत्र जमील अहमद, निवासी मौहल्ला कटरा कस्बा व थाना धनौरा, जनपद अमरोहा।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–80/2026
धारा– 316(2), 352, 351(2) बी.एन.एस
थाना–बछरायूं।

## आदेश

**दिनांकः–03.07.2026**

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त **तौकीर अहमद** की ओर से अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

**02.** संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा **मौ0 असलम** द्वारा संबंधित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस अभिकथन के साथ दर्ज करायी गयी कि वादी मुकदमा के गांव में विपक्षी तौकीर अहमद पुत्र जमील अहमद आता जाता था। गांव में काफी समय से आने जान की वजह से वादी के विपक्षी से मधुर सम्बन्ध हो गये। विपक्षी विदेश भेजने का काम करता है तथा वादी से विपक्षी ने कहा कि माह सितम्बर में मेरे पास उजरेगिस्तान के विजे है, वह बेल्डर का काम करता है तथा विपक्षी ने कहा कि उजरेगिस्तार बेल्डर के काम पर कम्पनी भिजवा देगा जिससे उसे तकरीबन 2,50,000/– देने होंगे। वादी उजरेगिस्तान जाने के लिये अपनी भैंस बेचकर व अन्य सामान बेचकर माह सितम्बर के आखिरी हफ्ते में वादी ने 1,00,000/–रूपये विपक्षी को अपने घर बुलाकर गवाहों की मौजूदगी में दिये तथा वाकी रकम विपक्षी ने शहनाज के खाते में व अन्य व्यक्तियों के खाते में लगवाये। विपक्षी ने वादी से 2,50,000/–रूपये की रकम पूरी करने के बाद पास्पोर्ट लेकर दिनांक 07.10.2025 को उजरेगिस्तान भेज दिया। जब वादी ने उजरेगिस्तान जाकर देखा तो वहां पर वादी को किसी कम्पनी में कोई बेल्डर का काम नहीं मिला , तो उसने विपक्षी से फोन पर बात की तो विपक्षी ने अपने दलाल को भेजा। दलाल ने कहा 16,000/– रूपये व पासपोर्ट देना होगा तो वादी को कम्पनी में वीजे व बेल्डर का काम दिलवा देगा। वादी ने

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.07.03 10:31:04 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसे 16,000/–रूपये अपने पिता के फोन से डलवा दिये , उसके बाद भी वादी को कोई कम्पनी में बेल्डर का काम नहीं दिलाया और वादी का पासपोर्ट जमा कर लिया। वादी बराबर भटकता और दर दर की ठोकरे खाता रहा और काफी परेशान हो गया। उसे उजरेगिस्तान में ही एक इण्डिया का सज्ञन व्यक्ति माला तो वादी ने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो उसने वादी को जानकारी दी कि वादी के पासपोर्ट पर कोई वीजा नहीं था और पर्यटन वाला बीजा बताया तथा विपक्षी ने जानबूझकर वादी को धोखा देकर छलपूर्वक फर्जी वीजे बताकर वादी से 2,50,000/–रूपये लूट लिये। वादी ने इस बात की जानकारी अपने परिवारवालों को बतायी तो उसके पिता ने दिनांक 08.11.2025 को विपक्षी के विरूद्ध थाना बछरायूं में एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें पुलिसवालों ने विपक्षी के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की तथा प्रार्थी इण्डिया के सज्ञन व्यक्ति से ही मिलकर दिनांक 21.11.2025 को वापस इण्डिया आ गया। इसके पश्चात वह विपक्षी के पास जाता है कि आपने उसके साथ यह क्या किया है न तो उसका कोई कम्पनी में काम लगा और न ही पास्पोर्ट किसी कम्पनी के वीजे का था, आपने उसके साथ धोखाधड़ी करके पासपोर्ट फर्जी वीजा दिखाकर उसे उजरेगिस्तान भेज दिया। वादी ने अपने 2,50,000/–रूपये मांगे तो और अन्य खर्च मांगा तो विपक्षी ने कहा कि वह उसके रूपये व अन्य खर्च दे देगा तथा गांव में अन्य लोगों से अपनी शिकायत करने को मना किया। वादी को आश्वासन देने के बाद भी रकम वापस नहीं की। दिनांक 10.01.2026 को समय करीब 11 बजे वादी अपने घर पर था तभी विपक्षी तौकीर अहमद वादी के घर में घुसकर कहता है कि तू बहुत लोगों से शिकायत कर चुका है कि तेरे 2,50,000/–रूपये व फर्जी वीजा दिखाकर तुझे उजरेगिस्तान भेज दिया था। विपक्षी का काम सही नहीं है, आज तुझे बताता हूं कि तेरे 2,50,000/–रूपये नहीं दूंगा, जिसका वादी ने विरोध किया तो उसके साथ अभद्रता व जान से मारने की धमकी व गाली–गलौज की।

**03.** प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कहा गया कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी को रंजिशन एवं झूठा फंसाया गया है, वह बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी विलम्ब से लिखायी गयी है, विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी के द्वारा न कोई अमानत में ख्यानत की गयी है और न ही प्रार्थी किसी कम्पनी का कोई ट्रेवल एजेन्ट है। वादी मुकदमा के सगे भाई मौ0 समीर के द्वारा प्रार्थी से एक लाख रूपये उधार लिये गये थे जिसके बदले उसके द्वारा एक चैक कोटक महेन्द्र बैंक का खाता संख्या 044956417 दिनांकित 12.09.2025 प्रार्थी को दिया गया था जिसका भुगतान प्रार्थी के द्वारा मौ0 समीर के निवेदन करने पर प्राप्त नहीं किया गया था। उक्त धनराशि मांगने पर मनगढन्त तथ्य बनाकर झूठी प्राथमिकि दर्ज करायी है। प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त कथित धाराओं का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा, इसलिए अग्रिम जमानत की याचना की गयी है।

**04.** अभियोजन द्वारा विरोध करते हुए कहा गया कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

**05.** प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित केस डायरी का सम्यक अवलोकन किया गया। इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैः–

I. **इस मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि वह पर्यटन वीजा को कम्पनी का वीजा बताकर काम दिलाने का धोखा देकर वादी मुकदमा से 2,50,000/–रूपये लेकर उजरेगिस्तान भेजता है और वहां कोई काम नहीं दिलाता है, किसी तरह वादी के वापिस आने पर वादी के रूपये भी वापिस नहीं करता है। यह आर्थिक प्रकृति का अपराध है। अभियुक्त के विरूद्ध इस मुकदमें से पूर्व धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दो**

मुकदमें दर्ज हुए हैं और घर में घुसकर मारपीट करने का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा संख्या 427/2015 और 29/2024 धोखाधड़ी से सम्बन्धित है और मुकदमा संख्या 161/2017 मारपीट का है। अभियुक्त ने अप.07 ने जमानत प्रार्थना पत्र और शपथपत्र में यह कहा है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है अर्थात अभियुक्त ने अपने पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाया है। अभियोजन के द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि मारपीट का मुकदमा 161/2017 में वह दोषमुक्त हो चुका है , एक अन्य मुकदमे में समझौते के आधार पर कार्यवाही समाप्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल है, जिसमें आरोप पत्र के पश्चात की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है और एक अन्य मुकदमें में भी एफ. आर. लग गयी है जिसकी नकल उसे नहीं मिल पायी है।

इस प्रकार कुल एक मुकदमें में दोषमुक्त होने का प्रमाण अभियुक्त की ओर से दिया जा सका है। दूसरे मुकदमें की एफ.आर. की प्रति दाखिल नहीं है। एफ.आर. स्वीकार हुई अथवा नहीं यह भी जानकारी नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय में भी कार्यवाही को अपास्त नहीं किया गया है , इसलिए अपने आपराधिक रिकॉर्ड का उल्लेख अभियुक्त को जमानत प्रार्थना पत्र में करना चाहिए था, उल्लेख न करना महत्वपूर्ण तथ्य को न्यायालय के समक्ष आने से छिपाने का प्रयास है। सभी मुकदमें अभियोजन के अनुसार धोखाधड़ी करकर रूपये लेकर गरीब मजदूरों को विदेश भेजने के आरोप से सम्बन्धित है।

अग्रिम जमानत एक विशेष प्रकृति का अनुतोष है, यह अभियुक्त इस विशेष प्रकृति के अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी प्रतीत नहीं हो रहा है।

06. उपरोक्त परिस्थितियों में गम्भीर प्रकृति के इस मामले में अभियुक्त **तौकीर अहमद** को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। **अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जा रहा है।**

दिनांक–03.07.2026

**(संजय चौधरी)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
अमरोहा।